भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1454

दिनांक 29 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों एवं करों में छूट

1454. श्री मनोज तिवारीः
श्री भरतसिंहजी शंकरजी डाभीः
श्री कोटा श्रीनिवास पूजारीः
श्री चिन्तामणि महाराजः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों एवं करों में छूट (आरओडीटीईपी) योजना वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को सहायता प्रदान करने के लिए क्रियान्वित की जा रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस योजना के दायरे का विस्तार कर इसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड), निर्यातोन्मुखी उद्यम (ईओयू) और अग्रिम प्राधिकरण धारकों को शामिल करने के लिए कदम उठाए हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विस्तारित दायरे के कारण छोटे और मध्यम निर्यातकों की भागीदारी बढ़ी है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ) सरकार ने लगाए गए करों, शुल्कों और उपकरों जिनको केन्द्र, राज्य अथवा स्थानीय स्तर पर किसी भी अन्य मौजूदा तंत्र के तहत वापस नहीं किया जा रहा, लेकिन इसका निर्यातित वस्तुओं के विनिर्माण और वितरण प्रक्रिया में व्यय होता है, की वापसी हेतु दिनांक 01.01.2021 से निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम अधिसूचित की है। इस स्कीम का उद्देश्य वैश्विक बाज़ार में भारतीय निर्यात की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाना है।

इस स्कीम का कार्यान्वयन केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी), राजस्व विभाग (डीओआर), वित्त मंत्रालय द्वारा सीबीआइसी द्वारा प्रबंधित आइसगेट पर उपस्थित एंड–टू–एंड आइटी सक्षम प्लेटफार्म के माध्यम से किया गया।

यह स्कीम 10,500 से अधिक एचएस कोडों को शामिल करते हुए, लघु और मध्यम उद्यमों सहित निर्यात के क्षेत्रों के विस्तृत दायरे को कवर करती है। तथापि, अध्याय 61, 62 और 63 के तहत आने वाले परिधान/गारमेंट्स और निर्मितियां आरओडीटीईपी के तहत शामिल नहीं हैं क्योंकि ये पहले से ही राज्य और केन्द्रीय करों और शुल्क छूट (आरओएससीटीएल) स्कीम के अंतर्गत शामिल की गई हैं।

शुरु में यह स्कीम घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में प्रचालित इकाइयों हेतु लागू थी। बाद में, डीजीएफटी की अधिसूचना सं. 70/2023 दिनांक 08.03.2024 द्वारा, इसके दायरे को अग्रिम प्राधिकार–पत्र (एए) धारकों, निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) और विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसइज़ेड) में इकाइयों हेतु दिनांक 05.02.2025 तक बढ़ाया गया था। इस स्कीम को दिनांक 01.06.2025 से इन श्रेणियों हेतु आगे फिर से बहाल किया गया था।

डीटीए इकाइयों हेतु आरओडीटीइपी छूट दरें और मूल्य सीमा परिशिष्ट 4द में अधिसूचित हैं और एए/एसईजेड़/ईओयू हेतु परिशिष्ट 4दड. में अधिसूचित हैं। दोनों परिशिष्ट डीजीएफटी की वेबसाइट (www.dgft.gov.in) पर लिंक 'विनियमन>आरओडीटीईपी के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

*****